

(पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए)
आवेदन करने की अंतिम तिथि:— 01.11.2019

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/कार्मिक
हाजीपुर

सं०- ECR/IR&W/SBF-Application

दिनांक:—03.10.2019

➤ सभी प्रविभागाध्यक्ष एवं मुविभागाध्यक्ष/पूमरे/हाजीपुर।


विषय:— कर्मचारी हित निधि वर्ष 2019-20 के लिए सहायता राशि प्रदान करने के लिए मुख्यालय में कार्यरत इच्छुक अराजपत्रित कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रण के संबंध में।

मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों से कर्मचारी हित निधि वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित मदों की सहायता राशि प्रदान करने हेतु संलग्न निर्धारित फॉर्म (Enclosed Prescribed Formate) में आवेदन आमंत्रित किया जाता है:—

1. कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा हेतु सहायता/छात्रवृत्ति राशि के लिए - आवेदन-प्रपत्र का नमूना संलग्न।
2. कर्मचारियों व उनके परिवार (पत्नी/पुत्र/पुत्री) के चिकित्सीय सहायता राशि के लिए आवेदन-प्रपत्र का नमूना संलग्न।
3. कर्मचारियों के स्वयं चश्मा हेतु सहायता राशि के लिए - आवेदन-प्रपत्र का नमूना संलग्न।
4. दिव्यांग कर्मचारियों व उनके दिव्यांग पुत्र/पुत्री की सहायता राशि के लिए - आवेदन-प्रपत्र का नमूना संलग्न।

सभी विभागाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि मुख्यालय में कार्यरत अपने अधीनस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पूर्णरूपेण भरा गया कर्मचारियों का आवेदन संलग्नक सहित एक बंच (Bunch) में अग्रसारित करके अधोहस्ताक्षरित को दिनांक 01.11.2019 तक अवश्य भेजने की वयवस्था करें। दिनांक 01.11.2019 के पश्चात प्राप्त कराए जाने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मंडलों/इकाईयों में कार्यरत कर्मचारी से प्राप्त कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: यथोक्त।


03/10/19
(ए० के० झा)
सलाहकार/कार्मिक
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रतिलिपि:— आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर— मुख्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
- महासचिव/ईसीआरकेयू/हाजीपुर :- मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रेषित।
- महासचिव/एआईओबीसीआरई एसशोसिएशन एवं एआईएसएसटीआरई एशोसिएशन:- मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रेषित।

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

(पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए)

वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री के तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा हेतु सहायता/छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-प्रपत्र।

सेवा में,

सचिव, मुख्यालय एसबीएफ समिति,

पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।

दूरभाष संख्या

रेलवे :

मोबाईल :

भाग-अ -कर्मचारी का विवरण:-

1.	कर्मचारी का नाम(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)		
2.	पदनाम		
4.	विभाग	3.पी0एफ0सं0-	
6.	कार्यरत अधीन	5.कार्यस्थल	
8.	वर्तमान मूल वेतन	7.पे बिल यूनिट सं0	
10.	आवेदन की किस्म-(पहली बार नये के लिए या नवीनीकरण या दूसरी या अधिक बार के लिए)	9.लेवल	

भाग-ब -छात्र/छात्रा का विवरण:-

1.	छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)	
2.	छात्र/छात्रा से कर्मचारी का संबंध	
3.	सुविधा पास के लिए पात्र है या नहीं	
4.	शादीशुदा है या अविवाहित	
5.	कॉलेज/संस्था का नाम	
6.	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	
07.	वर्ष 2019-20 में पाठ्यक्रम की स्थिति (प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष)-	
08.	क्या छात्र/छात्रा वर्ष 2019-20 में उसी कक्षा में रोक रखा गया है?-	
09.	पाठ्यक्रम का अंत में जारी होने वाली डिग्री/डिप्लोमा का नाम-	
10.	क्या छात्र/छात्रा रेलवे छात्रावास में रहते हैं? यदि हाँ, तो छात्रावास का नाम-	
11.	क्या छात्र/छात्रा को किसी अन्य स्रोत से सहायता/छात्रवृत्ति मिल रहा है तो विवरण दें?-	
12.	एसबीएफ से किस-किस वर्ष में कितनी सहायता/छात्रवृत्ति राशि प्राप्त किया है- विवरण दें। 2015-16 Rs.....2016-17 Rs.2017-18 Rs.....2018-19.....	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त जानकारी बिल्कुल सही है। यदि वह

शेष पीछे पृष्ठ पर

गलत होगा तो मुझपर अनुपासनाकार्वाय चलायी जा सकती है साथ ही मुझे स्वीकृत की ग
सहायता/छात्रवृत्ति की राशि, मैं वापस कर दूँगा/दूँगी।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

श्री.....पदनाम.....विभाग.....
...मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेद
सचिव/मुख्यालय/एसबीएफ/हाजीपुर को अग्रेतर कारवाय हेतु भेजा जा रहा है।

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट-

1. कॉलेज/संस्था के प्रमुख/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, संगलन फार्म (Annexure 'A') में आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा। अतः आवेदक अपना Salary Account के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं एक निरस्त चेक आवेदन के साथ आवश्यक संलग्न करें।

BONAFIDE CERTIFICATE

Name and Address of the College: _____

This is to certify that Shri/Kum _____ Son/Daughter of
Shri/Smt . _____ is a Bonafide student of this College
for the year 2019-20.

Name of the course (Degree/Diploma) _____

Duration of the course _____
(i.e. 2/ 3/ 4 years)Year in which presently studying _____
(i.e. Ist/IIInd/IIIrd/IVth in 2019-20 Year)He/She has cleared all the subjects in previous year course / or passed in ATKT / Passed
in subsequent attempt (please specify) _____

Whether the course is full time or part time _____

(Stamp/Seal of the College)

Dated: _____

(Signature of the College Authorities)

(18)

(पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए)

वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों व उनके परिवार (पत्नी/पुत्र/पुत्री) के चिकित्सीय सहायता राशि के लिए आवेदन-प्रपत्र।

सेवा में,

सचिव, मुख्यालय एसबीएफ समिति,
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।

दूरभाष संख्या

रेलवे :

मोबाईल :

भाग-अ - कर्मचारी का विवरण:-

1.	कर्मचारी का नाम(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)		
2.	पदनाम		
3.		3.पी0एफ0सं0-	
4.	विभाग		5.कार्यस्थल
6.	कार्यरत अधीन		7.पे बिल यूनिट सं0
8.	वर्तमान मूल वेतन		9.लेवल
10.	आवेदन की किस्म-(पहली बार/दूसरी या अधिक बार के लिए)		

भाग-ब - रोगी का विवरण:-

1.	रोगी का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)	
2.	रोगी से कर्मचारी का संबंध	
3.	सुविधा पास के पात्र है या नहीं	
4.	रोग का नाम/प्रकार	
5.	मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल/संस्था का नाम जहाँ इलाज चल रहा है।	
6.	रेलवे से बाहर इलाज करवाने का कारण (Reason for non-availing Railway treatment)	
7.	वर्ष 2019-20 में Vouchers के अनुसार इलाज के लिए व्यय राशि का विवरण (Vouchers enclosed)	
8.	इलाज हेतु एसबीएफ से किस-किस वर्ष में कितनी सहायता राशि प्राप्त किया है- विवरण दें। 2016-17 Rs.2017-18 Rs.....2018-19 Rs.....	
9.	क्या किसी अन्य Sources/Mediclaim etc. से इलाज हेतु कोई सहायता राशि प्राप्त किया है, तो विवरण दें?	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त जानकारी बिल्कुल सही है। यदि वह

शेष पीछे पृष्ठ पर

गलत होगा तो मुझपर अनुशासनिक कार्रवाई चलायी जा सकती है साथ ही मुझे स्वीकृत की गयी चिकित्सीय राशि, मैं वापस कर दूँगा/दूँगी।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

श्री.....पदनाम.....विभाग.....
.....मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन सचिव/मुख्यालय/एसबीएफ/हाजीपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट-

1. रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संगलन फार्म (Annexure 'B') में आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा। अतः आवेदक अपना Salary Account के प्रथम पृष्ठ का छायाप्रति एव एक निरस्त चेक आवेदन के साथ आवश्यक संलग्न करें।


MEDICAL CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Smt/Kum _____
Wife/Son/Daughter of Shri/Smt. _____
Designation _____ Deptt. _____ office _____
is suffering from _____ disease since _____
Name of the disease _____
Name of Hospital/Clinic/Doctor in which presently taken treatment _____

(Stamp/Seal of the Hospital/clinic)

(Signature of the Rly. Medical Officer)

Dated: _____



(12)

(पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए)
वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के स्वयं चश्मा हेतु सहायता राशि के लिए आवेदन-प्रपत्र।

सेवा में,

सचिव, मुख्यालय एसबीएफ समिति,
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।

दूरभाष संख्या

रेलवे :

मोबाईल :

1.	कर्मचारी का नाम(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)		
2.	पदनाम		
4.	विभाग	3.पी0एफ0सं0-	
6.	कार्यरत अधीन	5.कार्यस्थल	
8.	वर्तमान मूल वेतन	7.पे बिल यूनिट सं0	
10.	आवेदन की किस्म-(पहली बार या दूसरी बार के लिए)	9.लेवल	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त जानकारी बिल्कुल सही है। यदि वह गलत होगा तो मुझपर अनुशासनिक कार्रवाई चलायी जा सकती है साथ ही मुझे स्वीकृत की गयी की राशि, मैं वापस कर दूँगा/दूँगी।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

श्री.....पदनाम.....विभाग.....

मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन सचिव/मुख्यालय/एसबीएफ/हाजीपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट-

- डॉक्टर का Prescription की छायाप्रति एवं चालू वर्ष 2019-20 में चश्मा के लिए व्यय की गई राशि रु0की रसीद/वॉउचर की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा। अतः आवेदक अपना Salary Account के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं एक निरस्त चेक आवेदन के साथ आवश्यक संलग्न करें।

(पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कार्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए)

वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत अराजपत्रित दिव्यांग कर्मचारियों व उनके दिव्यांग पुत्र/पुत्री को सहायता राशि के लिए आवेदन-प्रपत्र।

सेवा में,

सचिव, मुख्यालय एसबीएफ समिति,
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर।

दूरभाष संख्या

रेलवे :

मोबाईल :

भाग-अ -कर्मचारी का विवरण:-

1.	कर्मचारी का नाम(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)		
2.	पदनाम		
3.	विभाग	3.पी0एफ0सं0-	
4.	कार्यरत अधीन	5.कार्यस्थल	
5.	वर्तमान मूल वेतन	7.पे बिल यूनिट सं0	
6.	आवेदन की किस्म-(पहली बार/दूसरी या अधिक बार के लिए)	9.लेवल	

भाग-ब - दिव्यांग का विवरण:-

1.	दिव्यांग का नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)		
2.	दिव्यांग से कर्मचारी का संबंध		
3.	सुविधा पास के पात्र है या नहीं		
4.	दिव्यांगता का प्रकार एवं दिव्यांगता का %		
5.	वर्ष 2019-20 में खरीदे गए Wheel Chair, Other aides, Special Software etc. का Vouchers यदि कोई हो तो संलग्न करे।		
6.	इस प्रयोजन हेतु एसबीएफ से किस-किस वर्ष में कितनी सहायता राशि प्राप्त किया है- विवरण दें। 2016-17 Rs.2017-18 Rs.....2018-19.....		
7.	क्या किसी अन्य Sources से इस प्रयोजन हेतु कोई सहायता राशि प्राप्त किया है, तो विवरण दें?		

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त जानकारी बिल्कुल सही है। यदि वह

शेष पीछे पृष्ठ पर

गलत होगा तो मुझपर अनुपासन्निक कार्रवाई चलायी जा सकती है साथ ही मुझे स्वीकृत की गयी सहायता राशि, मैं वापस कर दूँगा/दूँगी।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

श्री.....पदनाम.....विभाग.....
.....मुख्यालय/पूरमे/हाजीपुर में कार्यरत है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन सचिव/मुख्यालय/एसबीएफ/हाजीपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट-

1. दिव्यांग कर्मचारी / दिव्यांग पुत्र व पुत्री का दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा। अतः आवेदक अपना Salary Account के प्रथम पृष्ठ का छायाप्रति एवं एक निरस्त चेक आवेदन के साथ आवश्यक संलग्न करें।